

OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in

Sujeeta Soni Joining Letter

माडपूल में हायडेट किला गणा 07.22020 महाविद्यालय शासकाय वुलाही मटाविद्यालय अनूष्यु (म.9.9) 180/07-2020 कुः सुजीता होनी (ब. १० हीरावाल सार कमाक प्रति. गान्ती . कोतमा, जिल्ला-अन्पु (भ०५०) नाम पिता/पति विषय:-आपके ऑनलाईन आवेदन के अनुक्रम में अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रण की सूचना। Trula भूतम तर जाताच प्रधान जालत्रण हतु लहमात हुई हा आपस अपक्षा का जाता हाक आपको 2019-20 में अतिथि विद्वान हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय में उपस्थित होना होगा। अपनित अपनेत्रण दिन्दा कार्य के अत्यात्मीन कोगा 1. यह आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य के जिन्द्रों राज प्रति यह आपका प्रातादवस न्यूनतम 5 घट तथा प्रात सप्ताह न्यूनतम 40घट उपास्थत रहना आनवाय होगा जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति हागानजसक अनुसार प्रातादवस आसत 7 घट का कायकाल अपाक्षेत है। आतीथ विद्वाना द्वारा प्रति भप्ताह न्यूनतम 16 घटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त टयूटोरियल. अवेनियन जनायेये यानि में पर्य क्रिक्षण नाम नाम नाम अनिवार्य होगा, इसके जनाय मानव की अति आपका आमंत्रण निःन शतों के अध्याधीन होगा सप्ताह न्यूनतम 16 घट का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना आनवाय हागा, इसक आतारक्त टयूटारियल. ट्रेमेडियल पंलासेसे आदि में भी शिक्षण को कार्य करेंगे। अतिथि विद्वानों को मानदेय शासन की नीति रमोडियल क्लासस आहि म मा शिक्षण का काय करग। आताथ विद्वाना का मानदय शासन का नाल तिर्देश दिसाक 17.12.2019 की कडिका 5.1 अनुसार होगा। 2. यह आमंत्रण सैक्षणिक सत्र 2019-20 के लिए सीमित होगा। 3. यह आमंत्रण किसी भी समय विना पूर्व सूचना के सधिव, जनमागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया महातिद्यालय द्वीरा किसी भा प्रकार का यात्रा व्यय देश नहीं होगा। आपको महातिद्यालय में अपने भूल प्रमाण पत्र-एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय (अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में गाण पत्र पातन जण्मा होगा भा राषणा। महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देव नहीं होगा। शायथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवदक को आवादित महाविद्यालय में दिनोंक <u>06 27 20 महाविद्यालय</u> में उपरिथति देनी होगी। विर्धारित तिथि तक उपरिथति न देने पर आमत्रण स्वतः किरतत हो जावेगा। भावनित महाविद्यालय में त्याविधाव होने पर मन प्रभाग एवं का पत्र नामा निधारित ग्ताथ तक उपारथात न दन पर अमित्रण स्थतः उत्तरल हा आवगा। आर्यदित महायिद्यालय मे उपरिधत होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्थापन करना होगा। आवरित महाविद्यालय म उपारधत हान पर मूल प्रमाण पता का पुनः सत्यापन करना हागा। आपको भोगतन के आदेश उभाकि एक 1-42/2017/38-1 भोपाल, दिनाक 17-12-2019 में वणित नियमा एव शतों क अधान आताव विदान हतु आसात्रेत किया जा रहा है। यह आमत्रण माननीय उच्च न्यायालय ११ अतिथि विदान आमंत्रण प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं में भाषित कोचे त्याने प्रान्तीय पच्च न्यायालय के लिकीचे के आधानीन जन्मा। यह आमत्रन माननाय ज्व्य न्यायालय ग आताथ विद्वान आमत्रण प्रक्रिया पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्यधीन रहेगा। दिनाक 06.02.201 Anuppur.रांभाग की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। anta 181/05-201/2020 1. क्षेत्रीय अतिरिक्त। संचालक, उच्च शिक्षा 2)का प्रतिलिपि:-Govt. Tubi Cottege 2. कार्यालयीन प्रांते। MDistt. Anuppur (M severie Govt. Tulsi College Anupout Distl. Anuppur (M.P.)

Jaithari Road Anuppur, District- Anuppur, Madhya Pradesh, Pin Code:- 484224 www.gtcanuppur.ac.in